

# इस्लाम प्रश्न और उत्तर

जनरल पर्यवेक्षक : शैख मुहम्मद सालेह  
अल-मुनज्जिद

## 115306 - यदि रेनेट का स्रोत ज्ञात नहीं है तो पनीर खाने का क्या हुक्म है

### प्रश्न

बहुत सारे पनीर जिन्हें हम खरीदते हैं उनमें रेनेट नामी पदार्थ की उपस्थिति का क्या हुक्म है, जबकि हम नहीं जानते कि वह कहाँ से निकाला गया है?

### विस्तृत उत्तर

हर प्रकार की प्रशंसा और गुणगान केवल अल्लाह के लिए योग्य है।

पनीर में जो पदार्थ डाला जाता है उसे रेनेट कहा जाता है, यह त्वचा के एक पात्र (खोल) में उपस्थित पीले-सफेद रंग का पदार्थ होता है जो गाय या बकरी के बच्चे के पेट से निकाला जाता है। उस में से थोड़ा सा दूध में डाला जाता है जिससे वह जम जाता है और पनीर बन जाता है।

तथा देखिए : "अल-मौसूअतुल-फ़िक्हिय्या" (5/155)।

रेनेट का हुक्म, जहाँ से उसे लिया गया है उसके हिसाब से अलग-अलग होता है। यदि उसे एक ऐसे जानवर से लिया गया है जिसे शरीयत के अनुसार वध (ज़बह) किया गया है, तो वह शुद्ध है और खाए जाने के योग्य है। यदि उसे किसी ऐसे जानवर से लिया गया है जो प्राकृतिक कारणों से मर गया है या एक ऐसे जानवर से जिसे शरीयत के अनुसार वध (ज़बह) नहीं किया गया है, तो इसके बारे में फ़ुक़्हा (धर्म शास्त्रियों) के बीच मतभेद पाया जाता है।

मालिकिय्या, शाफेइय्या और हनाबिला की बहुमत का विचार यह है कि यह नजिस (अशुद्ध) है। तथा अबू हनीफा और एक अन्य रिपोर्ट के अनुसार अहमद इस के पवित्र होने की ओर गए हैं। इसी विचार को शैखुल-इस्लाम इब्ने तैमिया रहिमहुल्लाह ने राजेह करार दिया है। उन्होंने "अल-फतावा" (21/102) में फरमाया: "सबसे स्पष्ट बात यह है कि उनका - अर्थात् मजूसियों का - पनीर हलाल है और यह कि मृत जानवर (जो प्राकृतिक कारणों से मर गया हो) का रेनेट और उसका दूध ताहिर (शुद्ध) है।" उद्धरण का अंत हुआ।

तथा उन्होंने यह भी कहा (35/154): "वह पनीर जो उनके - अर्थात् कुछ बातिनी काफ़िर संप्रदायों के - रेनेट के साथ बनाया

# इस्लाम प्रश्न और उत्तर

जनरल पर्यवेक्षक : शैख मुहम्मद सालेह  
अल-मुनज्जिद

जाता है, उसके बारे में विद्वानों के दो प्रसिद्ध विचार हैं, जैसा कि शेष सभी मृत जानवरों के रेनेट, और जैसा कि मजूस के जबह किए हुए जानवर और अंग्रेजों के जबह किए हुए जानवरों के रेनेट का मामला है, जिनके बारे में कहा जाता है कि वे जानवरों को जबह नहीं करते हैं। तो इमाम अबू हनीफा और दो रिपोर्टों में से एक के अनुसार इमाम अहमद का मत यह है कि यह पनीर हलाल (अनुमत) है, क्योंकि मृत जानवरों का रेनेट इस विचार के अनुसार पाक (शुद्ध) है, क्योंकि जानवर के मर जाने से रेनेट नहीं मरता है, तथा आंतरिक तौर पर अशुद्ध कंटेनर (पात्र) से मिलने के कारण वह अशुद्ध नहीं हो जाता है। जबकि इमाम मालिक, इमाम शाफेई और एक रिपोर्ट के मुताबिक इमाम अहमद का विचार यह है कि यह पनीर नजिस (अशुद्ध) है क्योंकि इन लोगों के विचार में रेनेट नजिस है, क्योंकि मृत जानवरों का दूध और रेनेट इनके अनुसार नजिस (अशुद्ध) है। तथा जिस व्यक्ति के द्वारा जबह किए गए मांस को नहीं खाया जाता है, तो उसके द्वारा जबह किया गया मांस, मृत मांस की तरह है। इन दोनों विचारों के धारकों में से प्रत्येक ऐसे आसार से तर्क लेता है जिसे वह सहाबा से उद्धृत करता है। पहले विचार धारा के मानने वालों ने उल्लेख किया है कि सहाबा रज़ियल्लाहु अन्हुम ने मजूस के पनीर को खाया है। जबकि दूसरे विचार धारा के मानने वालों ने उल्लेख किया है कि उन्होंने ने उसे खाया है जिसे वह ईसाइयों का पनीर समझते थे। इस प्रकार यह मुद्दा इज्तिहाद के अधीन है और मुकल्लिद (अनुकरण कर्ता) दोनों कथनों में किसी भी कथन का फत्वा देनेवाले का पालन कर सकता है।" उद्धरण समाप्त हुआ।

जब यही दृष्टिकोण राजेह है, तो चाहे आप रेनेट के स्रोत को जानते हों और यह कि वह एक (शरीयत के अनुसार) जबह किए गए जानवर का है या जबह किए गए जानवर का नहीं है, या आपको इसकी जानकारी नहीं है, उससे बने हुए पनीर को खाने में आपके लिए कोई आपत्ति की बात नहीं है।

और अल्लाह तआला ही सबसे अधिक ज्ञान रखता है।